वेतन प्राप्त होने पर अपमिश्रित तथा उप-मानक खाद्य पदार्थों में अन्तर कर सकने की व्यावहारिकता के प्रश्न पर केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की उप-समिति विचार कर रही है।

दिल्ली में गाभिन भेड़ों का मारा जाना

123. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक बूचड़खाने में लगभग 500 गाभिन भेड़ें पाई गई थीं जो वहां मारे जाने के लिए लाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो जो व्यक्ति मारने के लिये गाभिन भेड़ें लाये थे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत दो वर्षों में राजधानी में बूचड़ड़ानों में पाई गई ऐसी भेड़ों तथा अन्य पशुओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस गैर-कानूनी कार्य में वहां नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी का भी हाथ था; और

(ङ) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :—

(क) 31-12-69 को निगम के सतर्कता विभाग द्वारा किए गए छापे के फलस्वरूप, ईद-गाह बूचड़खाने में 462 गर्भवती भेड़ें/बकरियों का बध किया हुआ पाया गया।

(ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 तथा इसके अधीन बने नियमों में इस सम्बन्ध में विशिष्ट उपबन्ध न होने के कारण, उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो पशुओं को लाते हैं, कोई कार्यवाही करना व्यवहारिक नहीं है।

(ग) भूतकाल में इस किस्म का कोई मामला ध्यान में नहीं आया, हालांकि ऐसे छापे पहले भी मारे गए थे।

(घ) और (ङ). नगर निगम ने दो मास निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है और निगम के सतर्कता विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

Conference of Housing Ministers

124. SHRI RAMACHANDRA VERRAPPA :
SHRI RAMAVTAR SHASTRI :
SHRI R. R. SINGH DEO :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU :
SHRI D. N. PATODIA :
SHRI SAMINATHAN :
SHRI MAYAVAN :
SHRI N. R. LASKAR :
SHRI NARAYAN :
SHRI K. P. SINGH DEO :
SHRI DHANDAPANI :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVEPLOPMENT be pleased to state :

(a) whether a conference of State Housing Ministers was recently held in Delhi to consider the Revolving Fund for housing; and

(b) if so, what were the decisions taken at the Conference?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Yes.

(b) The Conference recommended that

the nucleus of the Revolving Fund should be established during the financial year 1970-71. Broad guide lines for the formulation and implementation of suitable projects to be financed out of the proposed Revolving Fund, were approved. It urged upon the State Governments to furnish the broad outlines of their projects for implementation during 1970-71. Details should be settled on priority basis by discussions between the State and the Central Governments.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए दुकानें

125. **श्री राम चरण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'तेल भवन' की मार्किट की कुछ दुकानों में से चार दुकानें अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित की गई थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी दुकानों के लिये विज्ञापन निकाला था, जिसका कुछ संसद् सदस्यों द्वारा विरोध किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि संसद् सदस्यों ने माँग की है कि ये दुकानें लाटरी निकाल कर हरिजनों को आवंटित की जानी चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण,आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां ।

(ख) हाल ही में स्वर्गवास हुए अनुसूचित जाति के एक संसद सदस्य की विधवा को 4 दुकानों में से । दुकान का आवंटन किया जाना है । शेष 3 दुकानों को गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत पुनर्वास लाभ पाने के पात्र अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आबंटित की जायेंगी । इस उद्देश्य के लिये दिल्ली प्रशासन को पात्र उम्मीदवारों की सूची भेजने का अनुरोध किया गया था । इसी सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने आवेदन आमंत्रित करने के लिये विज्ञापन जारी किया था ।

दिल्ली प्रशासन से कोई सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) और (घ). कुछ संसद सदस्यों नेअनुरोध किया था कि इन चारों दुकानों का आवंटन लाटरी द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को किया जाना चाहिये । मामले पर सावधानी से विचार किया गया और इस बात का ध्यान रखते हुए कि गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत व्यक्तियों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व सरकार पर है, संसद सदस्यों के सुझाव को स्वीकार न करने का निर्णय किया गया ।

रक्षित कोटे में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को क्वार्टरों का आवंटन

126. **श्री राम चरण :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्वार्टरों के संबंध में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित 5 प्रतिशत कोटे में से कितने कर्मचारियों को क्वार्टर आंवटित किये गये हैं और अगले 6 महीनों में उस कोटे में से कितने कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ संसद सदस्यों या संस्थाओं ने इस प्रतिशतता को बढ़ाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर